POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! हर साल 15 मार्च का दिन पूरे विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में इस दिन शहरों से लेकर गांवों तक उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से वाकिफ कराने और उन्हें जागरूक करने के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सही अर्थों में न्याय दिलाने का मकसद तभी सफल हो सकता है जब हर उपभोक्ता को उसके हितों से वाकिफ कराया जाए।

यह मकसद तभी पूरा होगा जब सरकार और स्वयंसेवी संगठन मिल कर लगातार ऐसे अभियान चलाएं जिससे हर उपभोक्ता तक न्याय की पहुंच आसानी से हो सके। यह देखा गया है कि जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव में आज भी ज्यादातर शिकायतें उपभोक्ता अदालतों तक नहीं पहुंच पाती।

उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने के जितने मामले शहरों में होते हैं, उसके मुकाबले गांवों में ऐसे मामले कई गुना ज्यादा हैं। इससे निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उपभोक्ता संगठनों को अधिक सशक्त किया जाना जरूरी है। जिससे गांवों में जागरूकता कार्यक्रम युद्धस्तर पर आयोजित किए जा सके और वे लोगों की पैरवी के लिए सशक्त संस्थाएं बन सकें।

कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो इन अदालतों में लग रही देरी से उकता जाते हैं। शीघ्र न्याय मिलने के अधिकार के बावजूद वह उससे वंचित हैं। ऐसा उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों के चलते सुनवाई नहीं होने और पेंडिंग मामलों के अम्बार लग जाने से होता है।

राजस्थान को ही लें, यहां उपभोक्ता आयोग में करीब 7000 और उपभोक्ता मंचों में 37 हजार से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं। हाल ही आयोग द्वारा लिया गया उपभोक्ता लोक अदालतों के आयोजन का निर्णय इस दिशा में उठाया गया अच्छा कदम है।

अपनी परेशानी बताइए, उपभोक्ता अदालत खुद भेजेगी नोटिस

उपभोक्ता लोक अदालत के माध्यम से सुलझेंगे मामले

उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्री-लिटिगेशन स्टेज पर ही लोक अदालत के माध्यम से उनकी शिकायत का निवारण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ता केवल जानकारी दें। मंच अपने खर्च पर विपक्षियों को नोटिस भेजेंगे।

उपभोक्ता मामलों से सम्बन्धित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक परिवाद फॉर्म तैयार कराया है। यह फॉर्म सभी जिला मंच में उपलब्ध होगा। उपभोक्ता इस फॉर्म में अपनी समस्या या शिकायत और आवश्यक सूचनाएं भर कर मामला दर्ज करा सकते हैं।

- आमजन इस फॉर्म में अपना नाम, पता, फोन नंबर और फिर विपक्षी के दुकान या संस्था का नाम व पता भर सकेंगे। इस फॉर्म में ही उत्पाद या सेवा की सामान्य जानकारी व परेशानी का ब्योरा आदि भरा जा सकता है।
- इसके अलावा इस परेशानी पर आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी लिख कर उपभोक्ता मंच में दे सकते हैं। मंच द्वारा इसी आधार पर विपक्षी को उपभोक्ता की जानकारी और क्षतिपूर्ति की राशि देने का नोटिस भेजा जाएगा।
- इस समझौते की आगे अपील भी नहीं होगी। मामलों की सुनवाई के लिए चौथा शुक्रवार का दिन भी तय किया गया है।

खराब बिजली मीटर बदलने में की देरी: अब देना होगा हर्जाना

जयपुर निवासी भूराराम ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में परिवाद दायर किया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उसने निगम के सहायक अभियंता के यहां अपने घरेलू बिजली कनेक्शन के खराब हुए मीटर को बदलने के लिए 30 जून 2009 को प्रार्थना-पत्र पेश किया था। लेकिन उनके बिजली के मीटर को बदलने के बजाय उसे औसत उपभोग के आधार पर गलत बिजली के बिल भेजे गए। उन्होंने कई बार कार्यालय में जाकर उनसे संपर्क भी किया। लेकिन उनकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और पांच महीने की देरी के बाद उनका विद्युत मीटर बदला गया।

मामले की सुनवाई पर जिला उपभोक्ता मंच ने निगम को सेवा का दोषी माना। मंच ने निगम की ओर से दी गई दलील कि उपभोक्ता द्वारा निर्धारित मीटर टेस्टिंग शुल्क नहीं जमा कराया गया को नकारते हुए कहा कि शुल्क जमा नहीं कराने की आड़ मे पांच महीने बीतने पर भी बिजली मीटर को नहीं बदलना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। मंच ने निगम को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता भूराराम को क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 हजार रुपए का हर्जाना अदा करें।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 34 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2015 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'स्वच्छ भारत अभियान'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2015 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2016 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

अक्षय ऊर्जा से रोशन होंगे गांव

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब सूरज के ताप से बनी बिजली गांव-ढाणियों का अंधेरा दूर करेगी। दरअसल, केन्द्र सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही 'पॉवर फॉर ऑल' की दिशा में काम करना शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य से कार्ययोजना मांगी थी। इस आधार पर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को लागू किया गया है।

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के लिए 2819 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे पॉवर फॉर ऑल के तहत 154 गांव और 9 हजार से अधिक ढाणियों को सोलर सिस्टम के जरिए रोशन किया जाएगा। इसके लिए पांच कंपनियों को नियुक्त कर एक साल में सोलर सिस्टम लगाने का जिम्मा सौंपा गया है।

जल स्वावलम्बन अभियान में जुटें

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि 'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान' राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसकी सफलता के लिए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं तथा कॉरपोरेट्स, मीडिया संस्थानों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी व सहयोग आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि राज्य पानी की कमी से सर्वाधिक प्रभावित है। इस समस्या के समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि सब लोग मिल कर तन-मन व धन के साथ इस कार्य में जुटें तो आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

मनरेगा में नहीं होगी कोई कटौती

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महात्मा गांधी नरेगा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मनरेगा योजना को ग्रामीण क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए आश्वस्त किया है कि इसमें धन की कोई कटौती नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि आज ही इस योजना को लागू हुए दस साल पूरे हुए हैं और इससे ग्रामीण विकास के कई नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में यह योजना खासी कारगर साबित हो रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं पर अधिक धन खर्च कर सुविधाएं बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सकती है।

उन्होंने तमाम आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए कहा कि सरकार मनरेगा पर रिकॉर्ड स्तर पर खर्च कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं आने देगी।

जैविक खेती पर केन्द्र देगा मदद

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार जैविक खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपए देगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और कृषि मंडियों को जोड़ने के लिए एक अप्रेल से ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म योजना शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की है। तीन वर्ष के दौरान 5 लाख एकड़ जैविक खेती विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

आदर्श ग्राम योजना की होगी परख

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अभी तक 190 विधायकों ने गांव गोद लिए हैं। कुछ विधायकों ने अभी भी गांव गोद नहीं लिए हैं। गोद लेने के बाद उन गांवों में विकास कार्यों की क्या प्रगति हुई है, इसकी विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई है।

तैयार की गई इस रिपोर्ट को अब मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधायकों की ओर से गोद लिए इन गांवों के विकास कार्यों का खुद मूल्यांकन करेंगी। इससे विधायकों की कार्यकुशलता तय होगी।

भ्रष्टाचार पर लगे लगाम

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि 'न तो खाऊंगा और न खाने दूंगा' तब सभी को यह लगने लगा था कि अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं होगी। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हाल ही भ्रष्टाचार के बारे में आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है।

लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा दोषी केन्द्र और राज्य सरकारों के कई मंत्री और अधिकारी होते हैं। अर्थात, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले इनको ईमानदार बनाना होगा। सबसे पहले ऊपरी स्तर पर पनप रही भ्रष्टाचार की जड़ों को काटना होगा, तभी निचले स्तर पर साफ-सफाई संभव है।

-बनवारी प्रसाद 'गौतम', बांसवाड़ा

बेटियों के भी चलेंगे कम्प्यूटर पर हाथ

अब शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिला और बेटियों का भी कम्प्यूटर चलाने का सपना राज्य सरकार पूरा करेगी। सभी जिलों में दो-दो प्रशिक्षण केन्द्रों पर मुफ्त में कम्प्यूटर सीखाने की व्यवस्था की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का खर्च महिला अधिकारिता निदेशालय उठाएगा। कम्प्यूटर सीखने के बाद उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि कोई महिला या बेटी कम्प्यूटर क्षेत्र में नौकरी करना चाहती है तो उसे मार्गदर्शन की सुविधा भी प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध रहेगी।

अच्छे काम पर पंचायतें होंगी पुरस्कृत

आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाली तीन ग्राम पंचायत, हर संभाग में तीन पंचायत समिति एवं राज्य में सर्वोत्तम कार्य करने वाली तीन जिला परिषदों को पुरस्कृत किया जाएगा।

गौरतलब है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से वर्ष 2015-16 के बजट में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी।

पुरस्कार की राशि प्रथम तीन जिला परिषदों को 25 लाख,15 लाख एवं 10 लाख रुपए होगी। इसी तरह हर संभाग में तीन पंचायत समितियों को 10 लाख, 5 लाख एवं 3 लाख रुपए होगी।

जिला स्तर पर प्रथम ग्राम पंचायत को 3 लाख, द्वितीय को 2 लाख एवं तृतीय को एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर